कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

भवन मानचित्र समिति–द्वितीय (कॉपरेटिव) की बैठक सं. 27/2001 दिनांक 3–10–2001 को प्रातः 11.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया–

1. श्री अतुल शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री हेमन्त मुरड़िया, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री पी. आर. शर्मा, निदेषक (वित्त) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री पी.सी. बरड़िया, निदेशक (अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ए.एन. भार्गव वरिष्ठ नगर नियोजक (कॉपरेटिव) जविप्रा।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे–

1. श्रीमती सुषमा अरोड़ा, उपायुक्त, जोन सी–1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री बद्री नारायण, जोन सी–2, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (कॉपरेटिव), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री मुकेश मित्तल, सहायक नगर नियोजक (कॉपरेटिव), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री गिरीश चन्द शर्मा, सहायक नगर नियोजक, सी–2, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री श्री नाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक, सी–1, जविप्रा, जयपुर।

---

1. बीपीसी–11 (कॉपरेटिव) की बैठक सं. 23/2001 दिनांक 5.9.2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु।

   समिति द्वारा कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

2. बीपीसी–11 (कॉपरेटिव) की बैठक सं. 24/2001 दिनांक 6.9.2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु।

   समिति द्वारा कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

3. बीपीसी–11 (कॉपरेटिव) की बैठक सं. 25/2001 दिनांक 13.9.2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु।

   समिति द्वारा कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

4. बीपीसी–11 (कॉपरेटिव) की बैठक सं. 26/2001 दिनांक 17.9.2001 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु।

समिति द्वारा कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

(5) एजेण्ड़ा आईट्मस–

5.1 एजेण्ड़ा सं. 27/2001–1 :– आनन्द भवन गृ.निस.स. समिति की योजना ईदगाह कॉलोनी के भूखण्ड सं. 18 ए व 18 बी बाबतः–

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा और उपायुक्त, जोन सी–2 द्वारा बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। उपायुक्त, जोन सी–2 ने बैठक में बताया कि प्रश्नगत दोनों भूखण्ड़ो के रूपान्तरण की राशि सन् 1982 में जमा है और सन् 2000 में योजना के अनुमोदन से पूर्व दोनों भूखण्ड़ों पर मकान निर्मित है तथा विकास समिति ने भी दोनों भूखण्ड़ों नियमित किये जाने हेतु लिखा है।
अतः वाद विचार–विमर्श यह देखते हुए कि यह एक पुरानी विकसित योजना है, भूखण्ड़ सं. 18 ए व 18 बी को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु सड़क 30 फुट रखी जाएगी।

5.2 एजेण्डा सं. 27/2001–2 :– अरविन्द नगर गृ.नि.स. समिति की योजना अरविन्द नगर के भूखण्ड़ सं. 64 के उप विभाजन बाबतः–

उपायुक्त, जोन सी–2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ पर विचार–विमर्श किया गया और भूखण्ड़ सं. 64 के उप विभाजन की पुष्टि निम्नानुसार की गयी–

क्रम संख्या	भूखण्ड़ संख्या	क्षेत्रफल
1.	64 ए	160.00 व.ग.
2.	64	163.5 व.ग.

5.3 एजेण्डा सं. 27/2001–3 :– हथरोई गढ़ी गृ. नि. स. समिति की योजना दादू कॉलोनी के भूखण्ड़ सं. 25 के उप विभाजन बाबत :–

उपायुक्त, जोन सी–2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डे पर विचार कर भूखण्ड़ सं. 25 के उपविभाजन की पुष्टि निम्नानुसार की गयी–

क्रम संख्या	भूखण्ड़ संख्या	क्षेत्रफल
1.	25	167.12 व.ग.
2.	25 ए	95.5 व.ग.

5.4 एजेण्डा सं. 27/2001–4 :– शिव शंकर गृ.नि.स. समिति की योजना पवन विहार के अनुमोदित के संबध में :–

उक्त पवन विहार योजना को पूर्व में बीपीसी–11 (कॉपरेटिव) की बैठक सं. 11/2001 दिनांक 24.3.2001 में विचारार्थ रखा गया था। बैठक में हुए निर्णयानुसार समिति द्वारा संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया जिस पर बाद विचार–विमर्श निम्नांकित शर्त के साथ योजना का अनुमोदन किया गया–

1. भू.स. 70 व 71 के स्थान पर प्रस्तावित पार्क सहित, पार्क के पास स्थित भूखण्ड़ सं. 72 से 76 D तक के पूरे ब्लॉक को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जाये।

5.5 एजेण्डा सं. 27/2001–5 :– पथिक भवन गृ.नि.स. समिति की योजना नागमणी कॉलोनी (13 सी) के भूखण्ड़ सं. 7 व 8 बाबतः–

उपायुक्त, जोन सी–1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा एवं बतायी गयी मौके की स्थिति पर विचार–विर्मश किया गया। प्रश्नगत दानों भूखण्ड़ो में मकान निर्मित है, परिवार निवास कर रहे है और रूपान्तरण राशि सन् 1982 से जमा है अतः प्रश्नगत दोनों भूखण्ड़ो को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा सं. 27/2001–6 :– निजी खातेदारों की योजना पामकोर्टस के भूखण्ड़ सं. 24 के सैट बैक संशोधन बाबतः–

प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार–विमर्श किया गया। चूंकि प्रश्नगत भूखण्ड़ के साइड़ में स्थित भूखण्ड़ सं. 44 में साइड सैट बैक 3 मीटर है अतः प्रश्नगत भूखण्ड़ सं. 24 में भी भू.स. 44 की और का साइड़ सैट बैक 3 मीटर रखे जाने का निर्णय लिया गया और शेष सभी सैट बैक यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

5.7 एजेण्डा सं. 27/2001–7 :– सैक्टर प्लान 29 के अनुमोदन के संबंध में :–

प्रस्तावित सैक्टर प्लान 29 के संबंध में समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया जिसमें निम्नाकिंत संशोधनों को समाहित करते हुए अनुमोदित किया गया।

1. जगतपुरा रेल्वे क्रासिंग से आगे महल योजना की सड़क को 100' से 200' किया जाये।

2. एयरपोर्ट बाउण्ड्री के साथ–साथ प्रस्तावित 200' रोड़ को मास्टर विकास योजना 2001 के अनुसार 200' ही रखा गया पर इसके अलायन्मेन्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी से विचार कर अंतिम रूप दिया जाएगा और सीधा किया जाएगा और तब तक के लिए प्रस्तुत सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 200 फिट सड़क और एयरपोर्ट बाउण्ड्री के बीच

भूमि की पट्टियॉ बचती है उन्हे भी रोड़ में शामिल दर्शाया जाए। अर्थात इस 200' रोड़ की एक सीमा सीधी और एक सीमा Zig-Zag दर्शाई जाए और उसकी न्यूनतम चौड़ाई 200 फिट रहे।

3. राजस्थान आवासन मण्ड़ल की अवाप्तशुदा भूमि जो कि सैक्टर प्लान 29 में आती है को आर.एच.बी. भूमि अंकित किया जाये। इस भूमि में कोई भी प्राईवेट कॉलानी आदि का नाम नहीं लिखा जाये केवल खसरा सीमाएं एवं मुख्य सड़को के लिंक जो जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए आवश्यक हो दिखा दिए जाये।

5.8 एजेण्डा सं. 27/2001–8 :– हरिनगर गृ.नि.स. समिति की योजना हरि नगर के अनुमोदन के संबंध में :–

उक्त योजना के अनुमोदन के संबंध में विचार–विमर्श बीपीसी–11 (कॉपरेटिव) की बैठक सं. 11/2001 दिनांक 24.3.2001 में हुआ था। उक्त बैठक में समिति के अध्यक्ष और मंत्री उपस्थित थे, जिन्हें बैठक में हुए निर्णयानुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और उन्होंनें बैठक में सहमति व्यक्त की थी।

परन्तु आज दिनांक तक समिति ने कोई भी संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया। अतः बैठक में यह तय हुआ कि समिति अनुमोदन में रूचि नहीं रखती। अतः समिति की गत बैठक के निर्णयानुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु 7 दिवस का अन्तिम नोटिस दिया जाए जिसे अखबारों में भी प्रकाशित कराया जावे और यदि समिति फिर भी संशोधित मानचित्र प्रस्तुत नहीं करती तो उसकी योजना — निरस्त मानी जाएगी और योजना की समस्त भूमि का भौतिक कब्जा उपायुक्त, जोन सी–2 ले ले. और जविप्रा सम्पत्ति का बोर्ड लगा दिया जाये और इस भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण की उपयुक्त योजना बनायी जाकर प्रस्तुत की जाए।

5.9 एजेण्डा सं. 27/2001–9 :– आनन्द विहार योजना के भूखण्ड़ संख्या डी–68 के उप विभाजन की पुष्टि बाबत :–

उपायुक्त जोन सी–2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड़ा पर विचार–विमर्श किया गया और भूखण्ड़ सं. डी– 68 के उप विभाजन की पुष्टि निम्नानुसार की गयी –

क्रम संख्या	भूखण्ड़ संख्या	क्षेत्रफल
1.	डी–68 (पार्ट)	165.57 व.ग.
2	डी–68 ए	115.00 व.ग.
	डी–68 बी	113.84 व.ग.

5.10 एजेण्डा सं. 27/2001–10 :– गोपाल पुरा गृ.नि.स. की योजना मयूर विहार के अनुमोदन के संबंध में :–

व.न.नि. (कॉपरेटिव) द्वारा प्रस्तुत एजेण्ड एवं उपायुक्त जोन सी–2 द्वारा बताई गई मौके की स्थिति पर विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के पश्चात यह तथ्य उभर कर आया कि इस भूमि पर सुभाष सिन्धी गृ.नि.स. समिति ने नादू नगर योजना 1983 में व गोपालपुरा गृ.नि.स.स. ने मयूर विहार योजना 1999 में प्रस्तुत की। अतः निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन सी–2 स्वयं मौक पर जाकर देखें कि दोनों योजनाओं के कितने–2 भूखण्डधारी मौके पर काबिज. है। व मौके पर योजना किस प्रकार से क्रियान्वित है। उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात उपायुक्त जोन सी–2 की मौका रिपोर्ट के साथ प्रकरण को पुनः बैठक में रखा जावे।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति–द्वितीय (कॉपरेटिव)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक : जविप्रा/वननि/कॉपरेटिव/2001/डी–246

दिनांक : 15-10-2001

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा को आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
3. निदेशक आयोजना, अभियान्त्रिकी, वित्त, विधि जविप्रा जयपुर
4. वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.)
5. उपायुक्त / स.न.नि. जोन बी–3

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति–द्वितीय (कॉपरेटिव)